रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937
No. 240] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (2014 का 40) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (विख्यात व्यक्तियों को संदेय फीस और भत्ते) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (2014 का 40) अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. **संदेय फीस.**—संविधान के अनुच्छेद 124क के खंड (1) के उप-खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट विख्यात व्यक्ति आयोग की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए, दस हजार रुपए की फीस, प्रति मास साठ हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, का हकदार होगा ।

4. **यात्रा और दैनिक भत्ते का संदाय.**—(1) संविधान के अनुच्छेद 124क के खंड (1) के उप-खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट विख्यात व्यक्ति, जो आयोग की किसी बैठक में भाग लेते हैं, नियम 3 में निर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त यात्रा भत्ता उन

दरों पर, जो समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 में उपबंधित हैं, पाने के हकदार होंगे ।

(2) संविधान के अनुच्छेद 124क के खंड (1) के उप-खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट विख्यात व्यक्ति, जो आयोग की बैठक में भाग लेते हैं, नियम 3 में निर्दिष्ट फीस और उप-नियम (1) में निर्दिष्ट यात्रा भत्ते के अतिरिक्त, दैनिक भत्ता उन्हीं दरों पर, जो समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 में उपबंधित हैं, पाने के हकदार होंगे ।

[फा. सं. के-11016/02/2015-यूएस.II]

कुसुमजीत सिदधू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 11 of the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 (40 of 2014), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Judicial Appointments Commission (Fees and Allowances Payable to Eminent Persons) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 (40 of 2014);

(b) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Fees payable.**—The eminent persons, nominated under sub-clause (d) of clause (1) of article 124A of the Constitution, shall be entitled to a sitting fee of ten thousand rupees for attendance of each meeting of the Commission, subject to a ceiling of sixty thousand rupees per month.

4. **Payment of travelling and daily allowance.**—(1) The eminent persons, nominated under sub-clause (d) of clause (1) of article 124A of the Constitution, who are attending any meeting of the Commission shall, in addition to the fees referred to in rule 3, be entitled to receive travelling allowance on the rates as are provided in the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, as amended from time to time.

(2) The eminent persons, nominated under sub-clause (d) of clause (1) of article 124A of the Constitution, who are attending the meeting of the Commission shall, in addition to the fees referred to in rule 3 and travelling allowance referred to in sub-rule (1), also be entitled to receive daily allowance at the same rates as are provided in the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, as amended from time to time.

[F. No. K-11016/02/2015-US.II]

KUSUMJIT SIDHU, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.